

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक २/ ११८० /

जबलपुर, दिनांक १७ / ०९ / २०२५

IV-12-14/80 Pt VII-U

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-४-१/२०२५/नियम/चार भोपाल दिनांक ०३ अप्रैल, २०२५ के अनुसार श्री रंजीत सिंह, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक १९/०६/२०२५ से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

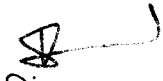
पृष्ठांकन क्रमांक २/ ११८१ /

जबलपुर, दिनांक १७ / ०९ / २०२५

IV-12-14/80 VII Pt VII-U

प्रतिलिपि :-

१. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 २. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 ३. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 ४. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 ५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 ६. श्री रंजीत सिंह, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

